न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1542/2026

CNR No.UPBB010034992026

आदित्य कुमार उर्फ पप्पू आयु लगभग 35 वर्ष पुत्र छोटेलाल निवासी ख्वाजापुर, थाना लोनीकटरा, जनपद बाराबंकी।

----- प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार विपक्षी।

अपराध सं–144/2026
धारा–318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस
थाना–लोनीकटरा,
जिला–बाराबंकी।

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता	श्री सत्यवान रावत
अभियोजन पक्ष की ओर से	श्री अमित कुमार अवस्थी, प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0)बाराबंकी ।
जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने का दिनांक	30.05.2026
जमानत प्रार्थनापत्र निस्तारण का दिनांक	05.06.2026

<u>निस्तारण जमानत प्रार्थनापत्र</u>

यह जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से मय शपथपत्र प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है तथा उल्लिखित किया गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया व उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

सक्षेंप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक शिवम तिवारी द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 23.05.2026 को वह थाना हाजा से रवाना होकर पूर्व से क्षेत्र में रवानाशुदा का० नीरज व का० मनोज राजपूत को हसबुल तलव हमराह लेकर उच्चाधिकारियों के आदेशों निर्देशों के अनुपालन में मंगलपुर रेलवे क्रसिंग के पास संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की चेकिंग की जा रही थी कि तभी दौरान चेकिंग एक मोटर साईकिल सवार तेजवापुर गाँव की तरफ से आ रहा था जिसे रोकने का प्रयास किया गया तो वाहन सवार मय मोटर साइकिल उन पुलिस वालों को देख कर अचानक बैजनाथ डिग्री कालेज मगंलपुर की तरफ जाने वाली सड़क की ओर अपनी गाड़ी मोड़कर

भागने का प्रयास किया। उन पुलिसवालों को शक होने पर उस संदिग्ध व्यक्ति को एक बारगी दबिश देकर घेरघार कर मंगलपुर रेलवे क्रासिंग से 30 मीटर आगे बैजनाथ डिग्री कालेज मगंलपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए भागने का कारण पूछा गया तो पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम आदित्य कुमार उर्फ पप्पू पुत्र छोटेलाल निवासी ग्राम ख्वाजापुर थाना लोनीकटरा जनपद बाराबंकी उम्र करीब 35 वर्ष तथा भागने का कारण पूछा तो कुछ बताने से इनकार किया तो उन पुलिसवालों द्वारा उक्त वाहन के कागजात तलब किया गया तो उसके पास कोई कागजात मौजूद नहीं मिले। वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर यू0 पी0 41 बी0 टी0 2621 को ई–चालान ऐप के माध्यम से चेक किया गया तो वाहन स्वामी के रूप में शिव देवी पत्नी प्रदीप कुमार नि0 54 जमोली अमहिया बाराबंकी 225409 यूपी चेसी सं0– MD9JUP22BSH316182 व इंजन सं0– OVM12216182 ई–रिक्शा रंग सफेद प्रदर्शित है। पकड़े गये व्यक्ति से हिकमत अमली से पूछताछ करते हुए जामातलाशी लिया गया तो पकडे गये व्यक्ति के पास से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई व पकड़े गये व्यक्ति ने बताया कि वह यह गाड़ी पंजाब से लेकर आया है धोखा देने के उद्देश्य से उसने गाड़ी का रंग बदलवा दिया तथा गाड़ी का असली नम्बर प्लेट निकाल कर फेंक दिया तथा फर्जी कूटरचित ई–रिक्शा का नम्बर गाड़ी पर लिखवाकर प्रयोग कर रहा है ताकि यदि वह कोई घटना करे तो पुलिस की पकड़ में ना आए और घटना करके बच जाए। इस पर आदित्य कुमार उर्फ पप्पू उपरोक्त को बताया गया कि उसका यह कृत्य धारा– 318(4) /338/336(3)/340(2) बी0 एन 0 एस 0 के तहत दण्डनीय अपराध है मोटरसाइकल जिस पर कूटरचित नम्बर प्लेट पड़ा है को कब्जा पुलिस में लेकर चिट बंदी किया गया। मौके पर पर्याप्त मोबाइल व टार्च की रोशनी में अभिरक्षा मेमों व तलाशी मेमों तैयार किये गये तथा फर्द साथ में लिए हुए टैबलेट पर टाइप कर पोर्टेबल प्रिंटर से प्रिंट निकालकर सभी सम्बन्धित को पढ़कर सुनाकर अलामात बनवाये जा रहे है। अभिरक्षा की सूचना परिजनों को जरिए उचित माध्यम दी गई। गिरफ्तारी व फर्द लिखे जाने तक नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह उपलब्ध नहीं हो सका।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित आधारों पर तर्क किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त अपने जीवनकाल में पंजाब नही गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से कथित बरामद मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में अन्य कोई वाद पंजीकृत है या नही इस सम्बन्ध में वादी मुकदमा द्वारा कोई उल्लेख नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नही है। कथित घटना का

कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है। उपरोक्त आधार पर जमानत प्रदान करने की याचना की गई है।

इसके विपरीत अभियोजन की ओर से प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता है। प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस द्वारा अभियुक्त के पास से बरामद की गई मोटरसाइकिल में अभियुक्त द्वारा नम्बर प्लेट बदलकर मोटरसाइकिल प्रयोग किये जाने का अभियोजन कथानक है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर है। उक्त आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

पुलिस प्रपत्रों के अनुसार दौरान चेकिंग आवेदक/अभियुक्त को उपनिरीक्षक शिवम तिवारी द्वारा मंगलपुर रेलवे क्रासिंग से 30 मीटर आगे बैजनाथ डिग्री कालेज मंगलपुर की तरफ से जाने वाली सड़क से एक अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है तथा मोटरसाइकिल में कूटरचित नम्बर प्लेट लगी होना पाया गया है। आवेदक/अभियुक्त के पास से अन्य किसी भी वस्तु की बरामदगी नही हुई है। आवेदक/अभियुक्त को उक्त बरामदगी के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में नामित किया गया है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। बरामद मोटरसाइकिल की शिनाख्त नही कराई गयी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। थाने से आहूत आख्या में आवेदक/अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दर्शित नही किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.05.2026 से जिला कारागार में निरुद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी न करते हुए आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आदित्य कुमार उर्फ पप्पू** उपरोक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन–50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि में निष्पादित करने पर दौरान विचारण निम्न शर्तों के अधीन उसे जमानत पर मुक्त किया जाएः–

1–आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा किसी अन्य अपराध में संलिप्त नही होगा।

2–अभियोजन पक्ष के साक्षियों को परेशान, प्रताड़ित नहीं करेगा और न ही साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

3–आरोप, साक्ष्य, धारा–351 बीएनएसएस के बयान एवं बहस के स्तर पर अनावश्यक स्थगन नहीं चाहेगा तथा विचारण मे पूर्ण सहयोग करेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय को उसकी जमानत निरस्त करने का अधिकार होगा।

जून 05, 2026
Manoj/–

(प्रतिमा श्रीवास्तव)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
J.O.–UP1899